राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपैक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2988946, 2973804 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / पंजीयन / 2019 / 871 **दिनांकः–** 09/05/19

रजिस्ट्रार
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर,
टोंक रोड़, जयपुर– 302033

विषयः– आपके विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम की मान्यता लेने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में पैरा मेडिकल शिक्षा के नियमन के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 तथा पैरा मेडिकल कौंसिल रेगूलेशन 2014 में बने हुए है। पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 द्वारा राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल बनी हुई है, जिसका दायित्व पैरा मेडिकल शिक्षा का विनियमन करना हैं पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 28 एवं पैरा मेडिकल कौंसिल रेगूलेशन 2014 की धारा 52 में डिप्लोमा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता लिये बिना कोई भी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन पूर्णतया विधि विरूद्ध है तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के फलस्वरूप छात्रों को मिलने वाले डिप्लोमा का कोई विधिक मूल्य नहीं होने से छात्रों को राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीयन न होने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इस संबंध इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में कई बार आपको पत्र लिखकर सूचित किया जा चुका है, लेकिन आपके विश्वविद्यालय द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संचालित पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता नहीं होने के कारण सत्र 2017–18 एवं इसके पश्चात् उत्तीर्ण समस्त डिप्लोमाधारी छात्रों का पंजीयन राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में नहीं किया जायेगा।

अतः आपको पुनः पत्र प्रेषित कर लेख है कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें, साथ ही आपके विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त समस्त पैरा मेडिकल महाविद्यालयों को भी डिप्लोमा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम की मान्यता लिये जाने हेतु तदनुसार सूचित करावें, जिससे आगामी सत्रों के छात्रों के भविष्य के साथ कोई अन्याय ना हो।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

9/5/19

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / पंजीयन / 2019 / 871 दिनांकः– 09/05/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, (ESI), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
11. प्रधानाचार्य, डॉ. एस. एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
12. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
13. प्रधानाचार्य, आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
14. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा।
15. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
16. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
17. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
18. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
19. मान्यता शाखा, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
20. प्रभारी सर्वर रूम, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को भेजकर लेख है कि आज ही वैबसाईट पर अपलोड करें।
21. रक्षित पत्रावली।

9/5/19

रजिस्ट्रार